न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 127 / 2023

1 गीता देवी पत्नी शंकर जाति जांगिड़ उम्र 62 साल निवासी भोड़की तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 अनिल कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति दर्जी
2 विकास कुमार पुत्र गिरधारी जाति दर्जी
3 अशोक कुमार पुत्र शंकरलाल जाति जांगिड़
4 सांवरमल पुत्र शंकरलाल जाति जांगिड़ निवासीगण भोड़की तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।
5 शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा गुढ़ागौड़जी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।
6 तहसीलदार महोदय, गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील विरूद्ध अंतिम निर्णय व डिक्री
दिनांक 18.07.2023 न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी
मुकदमा संख्या 458 / 2022

उपस्थिति :

1. श्री किशोर कुमार जांगिड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 26.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा 458 / 2022 में पारित निर्णय दिनांक 18.07.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से ग्राम भोड़की की भूमि खसरा नम्बर 3204 के संदर्भ में विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई दिनांक 12.05.2023 को विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की एवं दिनांक 18.07.2023 को अंतिम डिक्री जारी की है। इस अंतिम डिक्री से व्यथित होकर अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष ने विभाजन के नियम 18 से 21 के अनुसार उभयपक्ष की उपस्थिति में तहसीलदार से पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर निर्णय हेतु रिमांड करने पर सहमति जाहिर की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष ने विभाजन के नियम 18 से 21 के अनुसार उभयपक्ष की उपस्थिति में तहसीलदार से पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर निर्णय हेतु रिमांड करने पर सहमति जाहिर की है। उभयपक्ष की सहमति को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन अंतिम डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में तहसीलदार से विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना में पुनः विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.08.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 26.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर